न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 81 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. नानगाराम पुत्र विरधाराम	**बनाम**	1.अमराराम पुत्र गुणेशाराम
2. तिलोकाराम पुत्र विरधाराम		2.मोतीराम पुत्र गुणेशाराम
3. मदाराम पुत्र विरधाराम		3.खेताराम पुत्र गुणेशाराम
4. मानाराम पुत्र विरधाराम जाति दर्जी निवासी ईशरोल तहसील चौहटन जिला बाड़मेर।		4.गेनाराम पुत्र गुणेशाराम जाति जाट निवासी ईशरोल तहसील चौहटन जिला बाड़मेर।
		5.श्रीमान तहसीलदार चौहटन

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर चौहटन द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 458 / 2016 बअनवान अमरा वगैरा बनाम नानगा वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री महेन्द्र चौधरी समेजा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री राणाराम गौड़ रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 17.07.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण / रेस्पोडेंट का खातेदारी जोत मौजा ईशरोल तहसील चौहटन में खसरा संख्या 694 / 407 रकबा 94.13 बीघा स्थित है। उक्त आराजी में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का मौका न देकर प्रार्थी / उतरदातागण की एकतरफा बहस सुनकर निर्णय पारित किया गया जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार चौहटन से जो मौका फर्द तैयार करवाई गई, वह मौका फर्द मौके पर जाकर तैयार नहीं की गई तथा न ही अपीलांट की सहमति ली गई। इस प्रकार जो मौका रिपोर्ट कानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर बनाई गई है। उतरदातागण के खेत खसरा संख्या 694 / 407 के लगोलग उनका पुश्तैनी खेत खसरा संख्या 705 / 423 आया हुआ है। उक्त खेत के डामर सड़क लगती हुई जाती है। उतरदातागण ने यह बात अधीनस्थ न्यायालय में छिपाई तथा अपीलांट को परेशान करने की नियत से उक्त रास्ते का आवेदन पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का मौका न देकर प्रार्थी/उतरदातागण की एकतरफा बहस सुनकर निर्णय पारित किया गया जो विधि विरूद्ध है एवं एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार चौहटन से जो मौका फर्द तैयार करवाई गई, वह मौका फर्द मौके पर जाकर तैयार नहीं की गई तथा न ही अपीलांट की सहमति ली गई। इस प्रकार जो मौका रिपोर्ट कानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर बनाई गई है। उतरदातागण के खेत खसरा संख्या 694/407 के लगोलग उनका पुश्तैनी खेत खसरा संख्या 705/423 आया हुआ है। उक्त खेत के डामर सड़क लगती हुई जाती है। उतरदातागण ने यह बात अधीनस्थ न्यायालय में छिपाई तथा अपीलांट को परेशान करने की नियत से उक्त रास्ते का आवेदन पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी जोत मौजा ईशरोल तहसील चौहटन जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 694/407 रकबा 94.13 बीघा में आने-जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि मौका रिपोर्ट दिनांक 01.01.2017 के अनुसार रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण द्वारा चाहे अनुसार प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट के खेत खसरा संख्या 694/407 के कोने, नक्शे में दर्शाये बिन्दु "ए" से रास्ते हेतु आवेदित भूमि व कटाण मार्ग की सीमा बिन्दु "बी" तक बरंग लाल

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

खसरा संख्या 693/407 में रकबा 0.05 बीघा कटाण मार्ग बिन्दु "सी" से डामर सड़क बिन्दु "डी" तक बरंग काला खसरा संख्या 680/349 में रकबा 0.04 बीघा कुल रकबा 0.09 बीघा रास्ते में समाविष्ट हो रही है परन्तु प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट द्वारा रास्ते हेतु केवल खसरा संख्या 693/407 का ही आवेदन करने के कारण प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 694/407 में आने जाने हेतु रास्ते के लिए प्रार्थीगण के खेत के कोने पर बिंदु "ए" से कटाण मार्ग बिंदु "बी" तक बरंग लाल दर्शित खसरा संख्या 693/407 मे से रकबा 0.05 बीघा प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है और न ही उक्त प्रस्तावित रास्ते में कोई कीमती पेड़ अथवा मकान, दुकान, बाड़ा आदि स्थित है। संलग्न नक्शे में दर्शाए बिंदु "एक्स" कटाण मार्ग से प्रार्थीगण के बिंदु "जेड" तक विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 693/407 की सीमा XYZ के सहारे प्रार्थीगण के खेत तक आने जाने के लिए रास्ता प्रस्तावित करने पर **खसरा संख्या 406 रकबा 0.12 बीघा गै.मु.ढाणी की भूमि बीच में आ जाने के कारण विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 693/407 के बीच(मध्य) में से प्रार्थीगण के लिए रास्ता प्रस्तावित किया गया जो प्रार्थी के खेत में न्यूनतम लंबाई का भी है। इस मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विप्रार्थीगण/अपीलांट की ढाणी को छोड़ते हुए निकटतम और न्यूनतम दूरी का अनन्य रास्ता दिया गया है जो एकमात्र विकल्प उपलब्ध था।** अपीलाधीन निर्णय इस दृष्टि से विधि सम्मत और न्यायोचित है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

अतः लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर चौहटन द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 458/2016 बअनवान अमरा वगैरा बनाम नानगा वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 को यथावत रखा जाता है। तहसीलदार चौहटन को आदेशित किया जाता है कि वह अविलम्ब राजस्व रेकर्ड में दर्ज रास्ते को सार्वजनिक आवागमन हेतु खुलवाकर सुचारू करे।

17/7/19

(नखतराम बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 17.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner